



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112020-222994
CG-DL-E-06112020-222994

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]
No. 567]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/कार्तिक 15, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 691(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), की धारा 87 की उपधारा 2 के खंड (जेड ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2017, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की

अनुसूची में, "(1) शैक्षिक अर्हताएं:" उपशीर्षक के अधीन, स्तंभ (7) में, वैज्ञानिक 'एफ' पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, मद (क) में "दूरसंचार" शब्द के पश्चात्, "या विद्युत" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों की, अनुसूची में, “(1) शैक्षिक अर्हताएं:” उपशीर्षक के अधीन, स्तंभ (7) में वैज्ञानिक ‘ई’ पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने, मद (क) में “दूरसंचार” शब्द के पश्चात्, “या विद्युत” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त नियमों की, अनुसूची में, “(1) शैक्षिक अर्हताएं:” उपशीर्षक के अधीन, स्तंभ: (7), में, वैज्ञानिक ‘डी’ पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने, मद (क) में “दूरसंचार” शब्द के पश्चात्, “या विद्युत” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
5. उक्त नियमों की, अनुसूची में, “(1) शैक्षिक अर्हताएं:” उपशीर्षक के अधीन, स्तंभ (7) में, वैज्ञानिक ‘सी’ पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने, मद (क) में, “दूरसंचार” शब्द के पश्चात्, “या विद्युत” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
6. उक्त नियमों की, अनुसूची में, “(1) शैक्षिक अर्हताएं:” उपशीर्षक के अधीन, स्तंभ (7) में, वैज्ञानिक ‘बी’ पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने, मद (क) में, “दूरसंचार” शब्द के पश्चात्, “या विद्युत” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 1(2)/2019- कार्मिक. III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 24 नवंबर, 2017 में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 1443(अ) तारीख 20 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2020

G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ze) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group ‘A’ and ‘B’ posts, Recruitment Rules, 2017, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group ‘A’ and ‘B’ Posts, Recruitment Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group ‘A’ and ‘B’ posts, Recruitment Rules, 2017, (hereinafter referred to as said rules) in the Schedule, against serial No. 1 relating to the post of Scientist ‘F’ in Column (7) under sub-heading “(1) Educational Qualifications:” in item (a) after the word “Telecommunication”, the words “or Electrical” shall be inserted.
3. In the said rules, in the schedule, against serial no. 2 relating to the post of Scientist ‘E’ in Column No. (7) under sub heading “(1) Educational Qualifications:” in item (a) after the word “Telecommunication”, the words “or Electrical” shall be inserted.
4. In the said rules, in the schedule, against serial no. 3 relating to the post of Scientist ‘D’ in Column No. (7) under sub heading “(1) Educational Qualifications” in item (a) after the word “Telecommunication”, the words “ or Electrical” shall be inserted.
5. In the said rules, in the schedule, against serial no. 4 relating to the post of Scientist ‘C’ in Column No. (7)

under sub heading “(1) Educational Qualifications:” in item (a) after the word “Telecommunication”, the words “or Electrical” shall be inserted.

6. In the said rules, in the schedule, against serial no. 5 relating to the post of Scientist ‘B’ in Column No. (7) under sub heading “(1) Educational Qualifications:” in item (a) after the word “Telecommunication”, the words “or Electrical” shall be inserted.

[F.No.1 (2)/2019-Pers.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 24th November, 2017 vide notification number G.S.R. 1443 (E), dated the 20th November, 2017.